5 COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

50 COURT FEE 50 P. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

129

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६४ पुनरीक्षण

१- रामरतन पुत्र हेमसिंह
२- रामभरोसी पुत्र मोंगीराम
३- रामनिवास पुत्र पातीराम
ठाकुर निवासीगण ग्राम दुर्गादास की गढी मौजा किरयिच तहसील अम्बाह जिला मुरेना

-------- आवेदकगण

RN/42/R/791/94

क्रमांक ....
श्री .... द्वारा आज दिनांक ....
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

१- राममूर्ति पत्नी गनेशसिंह ठाकुर निवासी ग्राम पड़आपुरा तहसील बाह जिला आगरा
२- रामनाथ पुत्र चिन्ना बेडिया निवासी ग्राम दुर्गादास की गढी मौजा किरयिच तहसील अम्बाह जिला मुरेना

------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक ५५।६२-६३ अपील में पारित आदेश दिनांक २७-६-६४ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १६५६.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध तथा अनुचित एवं साक्ष्य के पूर्णतः विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर.एन./4–2/आर/791/94 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 55/92–93/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 27–6–94 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परगना अम्बाह स्थित ग्राम किरमिच स्थित प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग के भूमिस्वामी पंचमसिंह थे । उनकी मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमि पर नामांतरण हेतु अनावेदिका कमांक 1 द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पेश किया । उसके अतिरिक्त एक अन्य महिला सरस्वती ने भी आवेदन पेश कर भूमि सर्वे नंबर 1670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर वसीयतनामा दिनांक 26–7–79 के आधार पर नामांतरण की मांग की । विचारण न्यायालय ने प्रकरण में जांच के दौरान आवेदकों ने भी एक संयुक्त आवेदन पेश कर वसीयतनामा दिनांक 26–7–79 के आधार पर सवे नंबर 1670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया । प्रकरण के प्रचलन के दौरान सरस्वती देवी की मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदक कं. 2 द्वारा सरस्वती बाई का भाई होने के आधार पर अपना नामांतरण करने का अनुरोध किया । विचारण न्यायालय ने सुनवाई उपरांत आदेश पारित करते हुए वसीयतों को प्रमाणित नहीं माना तथा अनावेदक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रमांक 1 को पंचमसिंह का उत्तराधिकारी मानते हुए उसके पक्ष में नामांतरण करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील हुई जो निरस्त हुई । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की है । वसीयतनामा उसके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 की आपत्ति उत्तराधिकार के बिंदु पर सुनवाई योग्य नहीं थी । विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 110 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए अपने निष्कर्ष निकाले हैं । अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि महिला सरस्वती द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों के कथन लिपिबद्ध नहीं कराए । इसी प्रकार आवेदकों की ओर से प्रस्तुत वसीयत के संबंध में उन्होंने यह पाया है कि वसीयत में तीन गवाह हैं जिनमें से एक कृपालसिंह के कथन कराए हैं दूसरे गवाह रामनाथ प्रकरण में पक्षकार रहे हैं किंतु उनके कथन नहीं कराए गए । वसीयत नामा लेख को भी कथन हेतु न्यायालय में पेश नहीं किया	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर.एन./4–2/आर/791/94 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया । कृपालसिंह के कथन के संबंध मे उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसने एक वसीयत होना बतलाया है जबकि दोनों वसीयतों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उक्त आधार पर उन्होंने आवेदक की वसीयत को प्रमाणित नहीं होना पाया है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों को स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एंव अभिलेख वापिस हों । सदस्य	